

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**चिकित्सा अनुभाग-6**

लखनऊ : दिनांक 02 मई, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद एटा में निर्माणाधीन क्षयरोग रूजालय (टी0बी0क्लीनिक) के भवन निर्माण हेतु प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-41/17फ/नि0नि0अ0/2024-25, दिनांक 12.04.2024 तथा शासनादेश संख्या-96/2023/आई/296098/2023-5-6099/759/2022-6, दिनांक 30.03.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 30.03.2023 द्वारा प्रश्नगत भवन निर्माण कार्य हेतु रुपये 256.32 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रुपये 100.00 लाख अवमुक्त किया गया।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में आपके उपरोक्त पत्र दिनांक 12.04.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में जनपद एटा में निर्माणाधीन क्षयरोग रूजालय (टी0बी0क्लीनिक) के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत लागत रुपये 256.32 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि रुपये 100.00 लाख (एक करोड़ रुपये मात्र) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों**

1. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 तथा शासनादेश संख्या-96/2023/आई/296098/2023-5-6099/759/2022-6, दिनांक 30.03.2023 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है।
3. प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में उल्लिखित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

4. प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु समय-समय पर आवंटित धनराशि पर कार्यदायी संस्था द्वारा जो ब्याज अर्जित किया गया है, उसे राजकोष में तत्काल जमा कराना सुनिश्चित किया जाये।
  5. प्रश्नगत कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा लिया जायेगा।
  6. प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे।
  7. कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज देय होगा।
  8. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
4. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 4210011100400 क्षय रोग रुजालय (क्लीनिक) भवन का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
आनन्द कुमार राय  
संयुक्त सचिव।

**संख्या एवं दिनांक यथोक्त।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, एटा।
4. निदेशक (चिकित्सा उपचार/नियोजन/बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. अधीक्षण/अधिसासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
8. निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ/एटा।
9. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
आनन्द कुमार राय  
संयुक्त सचिव।